AFR

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
एमएसी क्रमांक 182/2015

1. मेसर्स श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, मुख्य कार्यालय द्वितीय तल, क्रिस्टल टॉवर अपार्टमेंट, मिन्कोहा पेट्रोल पंप रायपुर, पुलिस थाना सिविल लाइन्स, तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.)

---- अपीलार्थी

विरुद्ध

1. समारू राम पुड़ो, पिता समुनसाय पुड़ो, उम्र लगभग 50 वर्ष
2. असोन बाई, पति समारू राम पुडो, उम्र लगभग 45 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम तरहुल सहिलापारा, भानुप्रतापपुर, थाना एवं तहसील भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर–बस्तर कांकेर (छ.ग.)
3. ओमप्रकाश गवेरना, पिता शेर सिंह गवेरना, उम्र करीब 31 साल, निवासी ग्राम तरहुल सहिलापारा, भानुप्रतापपुर, थाना एवं तहसील भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर–बस्तर कांकेर
4. होरी लाल साहू, पिता तिजु राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी उरला बेंद्री थाना उरला, तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.)

---- उत्तरवादीगण

एमएसी क्रमांक 185/2015

1. मेसर्स श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, मुख्य कार्यालय द्वितीय तल, क्रिस्टल टॉवर अपार्टमेंट, मिन्कोहा पेट्रोल पंप रायपुर, पुलिस थाना सिविल लाइन्स, तहसील और जिला रायपुर (छ.ग.)

---- अपीलार्थी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

1. अगनूराम खड़ाहे, पिता नंदलाल, उम्र लगभग 50 वर्ष
2. गायत्री बाई, पति अग्नुराम खड़ाहे, उम्र लगभग 42 वर्ष

दोनों निवासी ग्राम तरहुल सहिलापारा, भानुप्रतापपुर,
थाना एवं तहसील भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर–बस्तर कांकेर (छ.ग.)

3. ओमप्रकाश गवेरना पिता शेर सिंह गवेरना उम्र करीब 31 साल
निवासी ग्राम तरहुल सहिलापारा, भानुप्रतापपुर,
थाना एवं तहसील भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर–बस्तर कांकेर(छ.ग.)
4. होरी लाल साहू पुत्र तीजू राम, उम्र लगभग 40 वर्ष,
निवासी उरला बेंद्री थाना उरला, तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

---- उत्तरवादीगण

अपीलार्थी की ओर से	श्री रत्नेश के अग्रवाल, अधिवक्ता
प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 की ओर से	कोई नहीं।
प्रतिवादी क्रमांक 4 की ओर से	श्री प्रवीण के तुलसीयान, अधिवक्ता।

माननीय श्री पी.आर.रामचन्द्र मेनन, मुख्य न्यायाधीश
माननीय श्री पार्थ प्रतिम साहू, न्यायाधीश
बोर्ड पर आदेश
पार्थ प्रतीम साहू, न्यायाधीश

19.01.2021

1. चूंकि उपरोक्त अपीलें एक ही दुर्घटना से उत्पन्न हुई हैं और इनमें चुनौती के समान आधार शामिल हैं, इसलिए इन्हें एक साथ सुना एवं एक समान आदेश द्वारा निराकृत किया जा रहा है।

2. टाटा सूमो, जिसका पंजीयन क्रमांक CG04-ZB-5001 है, (जिसे आगे दुर्घटना कारित वाहन कहा जायेगा), की फाइनेंस कंपनी/अपीलार्थी के द्वारा उक्त अपीलें (MAC क्रमांक 182/2015 और 185/2015) प्रस्तुत की हैं, जिसमें विद्वान अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक 90/2012 और 88/2012 में संयुक्तः पारित अधिनिर्णय दिनांक 26.11.2014 को चुनौती दी गई है, जिसमें दावा आवेदनों को आंशिक रुप से स्वीकार करते हुए क्रमशः ₹3,44,000 और ₹3,44,000 मुआवजे के रूप में दिए जाने का आदेश दिया गया है और अपीलार्थी पर अधिनिर्णय अनुसार उक्त भुगतान का दायित्व निर्धारित किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. इन अपीलों के निराकरण के लिए सुसंगत तथ्य यह है कि दिनांक 02.04.2011 को संतोष पुडो अपने मित्र कमलेश खाड़े के साथ कुछ घरेलू सामान खरीदने के लिए मोटर साइकिल पंजीयन क्रमांक CG07-LM-8689 पर भानुप्रतापपुर गया था, वहां से लगभग 19.30 बजे लौटते समय जब वे ग्राम कर्मोती के पास पहुंचे, तो अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा तेजी व लापरवाहीपूर्वक से चलाए जा रहे वाहन ने उनकी मोटर सायकल को टक्कर मार दिया गया। उक्त दुर्घटना में मोटर सायकल सवार दोनों व्यक्तियों को गंभीर चोटें आईं और उनकी मृत्यु हो गई।

4. मृतक संतोष पुडो के माता-पिता/दावाकर्ता ने मुआवजे के रूप में ₹9,30,000 की राशि की मांग करते हुए दावा आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उल्लेख किया गया कि दुर्घटना की तारीख को, उनके मृतक बेटे की आयु लगभग 22 वर्ष थी, वह मजदूर के रूप में काम कर रहा था और प्रति माह ₹5,000 कमा रहा था।

5. मृतक कमलेश के माता–पिता ने भी दावा प्रस्तुत कर ₹9,30,000 मुआवजे की मांग की है। उन्होंने बताया कि दुर्घटना की तिथि पर उनके मृतक बेटे की आयु लगभग 22 वर्ष थी और वह मजदूरी करता था तथा प्रतिमाह ₹5,000 कमाता था।

6. अनावेदक क्रमांक 1 दावा अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

7. अनावेदक क्रमांक 2 ने दावा आवेदनों पर जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें यह अभिवचन किया गया है कि दुर्घटनाकारित वाहन उसके द्वारा दिनांक 31.03.2009 को अनावेदक क्रमांक 3 से वित्त सहायता प्राप्त कर क्रय किया गया था। किराया क्रय करार के अनुसार, अनावेदक क्रमांक 2 को समान मासिक किश्तों में ₹79,300 चुकाने थे, लेकिन वह समय पर किश्तों का भुगतान करने में असफल रहा, इसलिए अनावेदक क्रमांक 3 ने दुर्घटनाकारित वाहन को दिनांक 26.01.2010 को जप्त कर लिया और अपने कब्जे में रख लिया। दिनांक 01.12.2010 को अनावेदक क्रमांक 3 द्वारा एक नोटिस भेजा गया, जिसमें अनावेदक क्रमांक 2 को ₹28,120 जमा करने के लिए कहा गया। उक्त नोटिस प्राप्त होने पर, अनावेदक क्रमांक 2 ने दिनांक 14.03.2011 को ₹10,000 जमा करवा दिए थे तथा दिनांक 18.04.2011 को ऋण खाता पूर्ण एवं अंतिम रूप से निपटा दिया गया। दिनांक 26.01.2010 से दुर्घटनाकारित वाहन अनावेदक क्रमांक 3 के कब्जे एवं नियंत्रण में था, जबकि दुर्घटना दिनांक 02.04.2011 को हुई थी, इसलिए, क्षतिपूर्ति, यदि कोई हो, का भुगतान करने का दायित्व अनावेदक क्रमांक 1 एवं 3 पर होगा।

8. अनावेदक क्रमांक 3 वित्त/फाइनेंस कंपनी ने दावा अधिकरण के समक्ष दावा आवेदन का जवाब प्रस्तुत नहीं किया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

9. दावा अधिकरण ने संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों और साक्ष्यों की विवेचना करते हुए, दोनों दावा आवेदनों को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया तथा प्रत्येक दावा प्रकरण में मुआवजे के रूप में ₹3,44,000 की राशि प्रदान की गई और अनावेदक क्रमांक 1 चालक और अनावेदक क्रमांक 3 फाइनेंस कंपनी पर मुआवजे की राशि के भुगतान का दायित्व निर्धारित किया।

10. अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता श्री रत्नेश कुमार अग्रवाल ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि दुर्घटनाकारित वाहन को अनावेदक क्रमांक 2 ने अनावेदक क्रमांक 3/अपीलकर्ता से वित्त सहायता प्राप्त करके क्रय किया था। विद्वान अधिवक्ता ने अधिनियम 1988 की धारा 2 (30) का हवाला देते हुए, यह तर्क प्रस्तुत किया कि अधिनियम 1988 के अंतर्गत मुआवजे की राशि को पूरा करने का दायित्व 'पंजीकृत स्वामी' पर है और यदि "वाहन वित्त सहायता या बंधक" के अधीन है, तो मुआवजे की राशि को पूरा करने का दायित्व उस व्यक्ति पर होगा, जिसके कब्जे में वाहन है। अनावेदक क्रमांक 2 के कब्जे से दुर्घटनाकारित वाहन को जप्त करने के बाद, अपीलकर्ता ने इसे नीलामी में मुकेश श्रीवास्तव नामक व्यक्ति को विक्रय कर दिया था। दावाकर्ता ने मुकेश श्रीवास्तव, जिन्होंने दुर्घटनाकारित वाहन क्रय किया था और वाहन जिसके कब्जे में हैं, को दावा प्रकरण में अनावेदक के रूप में संयोजित नहीं किया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अपीलकर्ता वित्त कंपनी को किसी भी कारण से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। वाहन अनावेदक क्रमांक 2 के नाम पर दर्ज है, इसलिए अनावेदक क्रमांक 2 मुआवजे की राशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा। यह भी तर्क दिया गया है कि यह क्रेता का कर्तव्य है कि वह दुर्घटनाकारित वाहन का स्वामी होने के लिए परिवहन विभाग के अभिलेखों में अपना

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11. नाम दर्ज/प्रतिस्थापित करवाए और उचित बीमा पॉलिसी प्राप्त करे, लेकिन अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा ऐसा नहीं किया गया है, जिसके लिए अपीलकर्ता को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। उक्त तर्क के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने पुष्पा @ लीला और अन्य विरुद्ध शकुंतला एवं अन्य, 2011 (2) एमपीएचटी 1 (एस सी) एवं गोदावरी फाइनेंस कंपनी विरुद्ध दिगाला सत्यनारायणनम्मा एवं अन्य, (2008) 5 एससीसी 107 में दिए गए निर्णय का अवलंबन लिया है।

12. अनावेदक क्रमांक 2/प्रतिवादी क्रमांक 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री पी.के.तुलसियान, जिनके द्वारा दुर्घटना कारित वाहन अपीलार्थी से वित्त सहायता प्राप्त कर क्रय की गई थी, की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अपीलकर्ता कंपनी के वित्त सहायता प्राप्त कर दुर्घटनाकारित वाहन क्रय किये जाने के संबंध में कोई विवाद नहीं है, लेकिन उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि समय पर किश्तों का भुगतान न करने के कारण अपीलकर्ता ने दिनांक 20.01.2010 को दुर्घटनाकारित वाहन अनावेदक क्रमांक 2 के कब्जे से जप्त कर लिया था और तब से यह अपीलकर्ता के कब्जे में था, अनावेदक क्रमांक 2 के पास नहीं था। उन्होंने आगे तर्क किया है कि अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा दिनांक 14.03.2011 को ऋण राशि का भुगतान किया गया है और दिनांक 18.04.2011 को अपीलकर्ता द्वारा कोई बकाया नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र जारी किया गया था, जबकि दुर्घटना दिनांक 02.04.2011 को ही हुई थी। उन्होंने तर्क किया है कि अपीलकर्ता ने दावा आवेदन पर कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है, जिसमें कहा गया है कि दुर्घटनाकारित वाहन को उसने दिनांक 16.02.2010 को नीलामी में श्री मुकेश श्रीवास्तव को विक्रय कर दिया है। उन्होंने अपने तर्क की पुष्टि हेतु 1988 के अधिनियम की धारा 2 (30) के प्रावधानों का भी हवाला

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिया कि यदि वाहन को बंधक करार के अंतर्गत क्रय किया गया है, तो जिस व्यक्ति के पास वाहन है, उसे उक्त वाहन का स्वामी माना जाएगा। प्रस्तुत प्रकरण में, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि दुर्घटना की तारीख से पूर्व प्रस्तुत प्रकरण में अपीलकर्ता ने दुर्घटनाकारित वाहन को अनावेदक क्रमांक 2 के कब्जे से जप्त कर लिया था। व्य.प्र.सं. के आदेश 18 नियम 4 के अंतर्गत अपीलकर्ता वित्त कंपनी के साक्षी द्वारा दिए गए शपथपूर्वक कथन का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि अपीलकर्ता की ओर से यह स्वीकारोक्ति है कि दुर्घटना की तारीख से पूर्व दुर्घटनाकारित वाहन अपीलकर्ता द्वारा कब्जे में लिया गया था, लेकिन उन्होंने आगे तर्क किया है कि उक्त वाहन दिनांक 16.02.2010 को नीलामी में मुकेश श्रीवास्तव को विक्रय किया गया था। उन्होंने आगे कहा है कि अपीलकर्ता द्वारा उक्त तर्क को प्रमाणित करने के लिए ऐसा कोई दस्तावेज अभिलेख में प्रस्तुत नहीं किय गया है , जो साक्ष्य में ग्राह्य हो। अतः दावा अधिकरण द्वारा अपीलकर्ता वित्त कंपनी पर दायित्व निर्धारित किया जाना न्यायोचित है। उक्त के समर्थन में प्रतिवादी क्रमांक 4 के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा नवीन कुमार विरुद्ध विजय कुमार (2018) 3 एससीसी 1 प्रस्तुत किया गया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

13. प्रकरण में पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं का तर्क श्रवण किया गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

14. जहां तक प्रकरण के तथ्य है कि यद्यपि वाहन को अनावेदक क्रमांक 2/प्रतिवादी क्रमांक 4 द्वारा अपीलार्थी से बंधक करार के अंतर्गत क्रय किया गया था, लेकिन अपीलार्थी के साक्षी के अनुसार, किश्तों का भुगतान न करने के कारण अपीलार्थी द्वारा दुर्घटनाकारित वाहन को अपने कब्जे में ले लिया गया (जप्त कर लिया गया)। उपर्युक्त तथ्य से, जिसे वास्तव में अपीलार्थी द्वारा स्वीकार किया गया है, यह स्पष्ट है कि

दुर्घटना की तिथि से पूर्व, दुर्घटनाकारित वाहन को अपीलार्थी वित्त कंपनी द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया था, इस प्रकार, दुर्घटनाकारित वाहन अपीलार्थी के कब्जे में था, न कि अनावेदक क्रमांक 2 के।

15. अपीलकर्ता ने दावा आवेदन पर कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है जिसमें उन तथ्यों को स्पष्ट किया गया हो जो उन्होंने अपने साक्ष्य में बताए हैं कि अनावेदक क्रमांक 2 के कब्जे से वाहन जप्त करने के बाद, इसे नीलामी में मुकेश श्रीवास्तव नामक व्यक्ति को विक्रय किया गया है, ताकि दावाकर्ता अपीलकर्ता द्वारा दिए जाने वाले विवरण और पते के आधार पर बाद के क्रेता को अभियोजित करने के संबंध में उचित कदम उठा सकें। किसी भी निर्देश और विवरण के अभाव में, यह नहीं कहा जा सकता है कि दावाकर्ता किसी भी तरह से दोषी थे।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

16. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत तर्क की विवेचना हेतु, 1988 के अधिनियम की धारा 2 (30) में दिए गए अनुसार 'स्वामी' की परिभाषा को उद्धृत करना उचित हैं, जो इस प्रकार है:–

"(30) "स्वामी" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसके नाम पर मोटर वाहन पंजीकृत है, और जहां ऐसा व्यक्ति नाबालिग है, ऐसे नाबालिग का अभिभावक और ऐसे मोटर वाहन के संबंध में जो किराया–क्रय, अनुबंध*, या पट्टा अनुबंध या बंधक करार का विषय है, उस अनुबंध के अंतर्गत वाहन के कब्जे में व्यक्ति;

17. उपरोक्त परिभाषा से यह स्पष्ट हो जाता है कि मोटर वाहन के 'स्वामी' की परिभाषा में अपवाद तब बनाया गया है जब वाहन किराया–क्रय करार के अधीन है। जब मोटर वाहन किराया–क्रय करार के अधीन है, तो स्वामी वह व्यक्ति होगा, जिसके कब्जे में वाहन है। अपीलकर्ता द्वारा स्वयं साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दुर्घटना की तिथि से पहले, दुर्घटनाकारित वाहन अनावेदक क्रमांक 2 के कब्जे से जप्त किया गया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

था, जिसने दुर्घटनाकारित वाहन के क्रय हेतु अपीलकर्ता के साथ किराया–क्रय करार किया था। इस प्रकार, दिनांक 26.01.2010 से दुर्घटनाकारित वाहन का कब्जा अपीलकर्ता के पास था न कि अनावेदक क्रमांक 2 के पास।

18. जहां तक अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि चूंकि दुर्घटनाकारित वाहन को नीलामी में मुकेश श्रीवास्तव नामक व्यक्ति को विक्रय किया गया है तथा दुर्घटना की तिथि पर दुर्घटनाकारित वाहन उसके कब्जे में नहीं था, इसलिए अपीलकर्ता को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, अपीलकर्ता के उक्त कथन एक से अधिक कारणों से स्वीकार योग्य नहीं होना पाया जाता हैं। सर्वप्रथम 1988 के अधिनियम के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए, जो लाभकारी कानून है, और यह तथ्य कि दावाकर्ता ने अपने रिश्तेदार को खो दिया है, उन्हें किसी अन्य व्यक्ति या संस्था की गलती या त्रुटि के कारण कष्ट नहीं उठाना चाहिए, जो दावा आवेदन में पक्षकार है। दूसरी ओर, अपीलकर्ता को दावा आवेदन में पक्षकार बनाया गया है, उन्हें जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय दिया गया था, लेकिन उनके द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए, उनका जवाब प्रस्तुत करने का अधिकार समाप्त कर दिया गया है और उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। तत्पश्चात अपीलकर्ता के द्वारा व्य.प्र.सं. के आदेश 9 नियम 17 के अंतर्गत एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया दावा अधिकरण ने उक्त आवेदन को इस शर्त के साथ स्वीकार किया कि एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश, आदेश की तिथि से अपास्त किया जाए तथा अपीलकर्ता को केवल आगे की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दी जाए। अपीलकर्ता द्वारा इस आदेश को चुनौती नहीं दी गई। अपीलकर्ता ने दिनांक 22.03.2014 को व्य.प्र.सं. के आदेश 18 नियम

4 के अंतर्गत शपथपत्रिय साक्ष्य प्रस्तुत करने से ठीक पूर्व दिनांक 10.02.2014 को व्य.प्र.सं. के आदेश 7 नियम 14 के अंतर्गत एक आवेदन के साथ कुछ दस्तावेज अभिलेख में प्रस्तुत किये। उक्त शपथपत्रीय साक्ष्य में उन्होंने किश्तों का भुगतान न करने के कारण अनावेदक क्रमांक 2 से दुर्घटनाकारित वाहन को जप्त करने/कब्जे में लेने तथा दिनांक 16.02.2010 को मुकेश श्रीवास्तव नामक व्यक्ति को नीलामी में विक्रय करने के संबंध में कहा है। व्य.प्र.सं. के आदेश 41 नियम 27 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से मात्र यह दर्शित है कि दस्तावेज प्रदर्श डी.1 कब्जे में लिये गये वाहन के क्रय के संबंध में कोटेशन है, उक्त दस्तावेज में अपीलार्थी के किसी भी अधिकारी का हस्ताक्षर या सील नहीं है। उन्होंने विक्रय डेटा शीट प्रस्तुत किया है, जिसमें विक्रय की तारीख, दुर्घटनाकारित वाहन के क्रेता का नाम एवं पता दर्शाया गया है, जिसमें केवल 'मुकेश श्रीवास्तव' का नाम अंकित है। अपीलार्थी ने इस संबंध में आवेदन प्रस्तुत कर मुकेश श्रीवास्तव को साक्षी के रूप में बुलाने का कोई प्रयास नहीं किया है। शीर्षक ' Screen Report– History of Paid Fees' के अंतर्गत एक छायाप्रति आरटीओ, रायपुर से प्राप्त होना दर्शाया गया है, लेकिन उक्त दस्तावेज को प्रमाणित करने के लिए उक्त आरटीओ के किसी भी कर्मचारी का साक्षी के रूप में परीक्षण नहीं कराया गया है। विधि की यह स्थिति स्पष्ट है कि जो पक्ष किसी तथ्य का अभिवचन करता है उसे उसके समर्थन में ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करके उसे प्रमाणित करना आवश्यक है। वर्तमान प्रकरण में, अपीलार्थी उक्त तथ्य को प्रमाणित करने में असफल रहा है, किंतु प्रकरण में यह प्रमाणित है कि अपीलार्थी द्वारा अनावेदक क्रमांक 2 से दुर्घटनाकारित

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

वाहन को जप्त किया गया, जिसे उन्होंने अपने साक्ष्य में स्वीकार किया है।

19. गोदावरी फाइनेंस कंपनी के मामले (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि वाहन के स्वामी का तात्पर्य अधिनियम 1988 की धारा 2 (30) के अंतर्गत परिभाषित वाहन का पंजीकृत स्वामी से होता है, जो कि निर्विवादित है, प्रस्तुत प्रकरण में, किश्तों का भुगतान न करने के कारण अपीलकर्ता ने अनावेदक क्रमांक 2 से दुर्घटनाकारित वाहन का कब्जा ले लिया था और इस तरह, अनावेदक क्रमांक 2 का उस पर नियंत्रण नहीं था। इसलिए, गोदावरी फाइनेंस कंपनी के मामले (सुप्रा) में दिया गया निर्णय अपीलकर्ता को कोई लाभ प्रदान नहीं करता है। इसी तरह, पुष्पा @ लीला (सुप्रा) का मामला भी भिन्न तथ्यों पर आधारित होने के कारण अपीलकर्ता को कोई लाभ प्रदान नहीं करता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

20. 1988 के अधिनियम की धारा 50 स्वामित्व के हस्तांतरण के बारे में बात करती है। धारा 50 की उपधारा (1) (ए) 'हस्तांतरणकर्ता' पर यह दायित्व अधिरोपित करती है कि वह निर्धारित प्रपत्र और तरीके से दस्तावेजों के साथ पंजीकरण प्राधिकरण को हस्तांतरण की सूचना दे। 1988 के अधिनियम की धारा 50 (1) नीचे पुन: प्रस्तुत की गई है;–

"(1) जहां इस अध्याय के अंतर्गत पंजीकृत किसी मोटर वाहन का स्वामित्व हस्तांतरित किया जाता है–

(क) हस्तांतरणकर्ता–

(i) उसी राज्य में पंजीकृत वाहन के मामले में, हस्तांतरण के चौदह दिन के भीतर, हस्तांतरण के तथ्य की रिपोर्ट ऐसे दस्तावेजों के साथ ऐसे प्रारूप में और ऐसे तरीके से, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित

किया जा सकता है, उस पंजीकरण प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा जिसके अधिकार क्षेत्र में हस्तांतरण किया जाना है और साथ ही साथ उक्त रिपोर्ट की एक प्रति हस्तांतरिती को भेजेगा; और

(ii) राज्य के बाहर पंजीकृत वाहन के मामले में, स्थानांतरण के पैंतालीस दिन के भीतर, उप–खंड (i) में निर्दिष्ट पंजीकरण प्राधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा–

(ए) धारा 48 के अंतर्गत प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र; या

(बी) ऐसे मामले में जहां ऐसा कोई प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है–

(I) धारा 48 की उपधारा (2) के अधीन प्राप्त रसीद; या

(II) हस्तांतरिती द्वारा प्राप्त डाक पावती, यदि उसने धारा 48 में निर्दिष्ट पंजीकरण प्राधिकारी को पंजीकृत डाक पावती द्वारा इस संबंध में आवेदन भेजा है, साथ में यह घोषणा कि उसे ऐसे प्राधिकारी से कोई संचार प्राप्त नहीं हुआ है, जिसमें ऐसा प्रमाण पत्र देने से इनकार किया गया हो या उसे किसी ऐसे निर्देश का अनुपालन करने की आवश्यकता हो, जिसके अधीन ऐसा प्रमाण पत्र दिया जा सके;

(ख) हस्तान्तरितकर्ता, हस्तान्तरण के तीस दिन के भीतर उस पंजीकरण प्राधिकारी को हस्तान्तरण की सूचना देगा जिसके अधिकार क्षेत्र में उसका निवास या व्यवसाय का स्थान है, जहां वाहन सामान्यतः रखा जाता है, जैसा भी मामला हो, तथा पंजीकरण प्रमाण–पत्र को निर्धारित शुल्क और हस्तान्तरणकर्ता से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति के साथ उस पंजीकरण प्राधिकारी को भेजेगा ताकि स्वामित्व के हस्तान्तरण का विवरण पंजीकरण प्रमाण–पत्र में दर्ज किया जा सके।”

21. अधिनियम 1988 की धारा 51, किराया–खरीद समझौते आदि के अधीन मोटर वाहन के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है और यह उस व्यक्ति पर कर्तव्य डालती है जिसके साथ पंजीकृत स्वामी ने

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

समझौता किया था, कि वह पंजीकृत स्वामी से वाहन को अपने कब्जे में लेने के लिए पंजीकरण प्राधिकारी को निर्दिष्ट करे। धारा 51 की उप-धारा (3) और (5) नीचे पुन: प्रस्तुत की गई है; –

"(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन की गई कोई प्रविष्टि, संबंधित पक्षों द्वारा उक्त करार की समाप्ति के प्रमाण पर अंतिम पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा रद्द की जा सकेगी, बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन किया गया हो और इस संबंध में सूचना मूल पंजीकरण प्राधिकारी को भेजी जाएगी, यदि अंतिम पंजीकरण प्राधिकारी मूल पंजीकरण प्राधिकारी नहीं है।

(5) जहां वह व्यक्ति जिसका नाम पंजीकरण प्रमाण-पत्र में उस व्यक्ति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है जिसके साथ पंजीकृत स्वामी ने उक्त करार किया है, पंजीकरण प्राधिकारी को यह संतुष्टि दे देता है कि उसने उक्त करार के उपबंधों के अधीन पंजीकृत स्वामी की चूक के कारण वाहन को [पंजीकृत स्वामी से] अपने कब्जे में ले लिया है और पंजीकृत स्वामी पंजीकरण प्रमाण-पत्र देने से इंकार कर देता है या फरार हो जाता है, वहां ऐसा प्राधिकारी पंजीकृत स्वामी को ऐसा अभ्यावेदन करने का अवसर देने के पश्चात, जैसा वह करना चाहे, (पंजीकरण प्रमाण-पत्र में दर्ज उसके पते पर उसे पंजीकृत डाक द्वारा पावती सूचना भेजकर) और इस बात पर भी कि पंजीकरण प्रमाण-पत्र उसके समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है, प्रमाण-पत्र को रद्द कर सकता है और उस व्यक्ति के नाम से नया पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है जिसके साथ पंजीकृत स्वामी ने उक्त करार किया है।

बशर्ते कि मोटर वाहन के संबंध में नया पंजीकरण प्रमाणपत्र तब तक जारी नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसा व्यक्ति निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं करता है:

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

बशर्ते कि परिवहन वाहन के अलावा किसी मोटर वाहन के संबंध में जारी किया गया नया पंजीकरण प्रमाणपत्र केवल उस शेष अवधि के लिए वैध होगा जिसके लिए इस उपधारा के अंतर्गत रद्द किया गया प्रमाणपत्र लागू रहा होगा।

22. धारा 51 (5) के अंतर्गत उक्त स्थिति के संबंध में विशिष्ट प्रावधान है, जहां पंजीकृत स्वामी फाईनेंसर को नियमित किश्तों का भुगतान करने में चूक करता है और वाहन फाईनेंसर द्वारा अपने कब्जे में ले लिया जाता है, तो उसे पंजीकृत प्राधिकारी को यह निर्दिष्ट करने का दायित्व है कि उसने पंजीकृत स्वामी को अवसर देने के बाद वाहन का कब्जा प्राप्त कर लिया है, ताकि यदि पंजीकृत स्वामी द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं सौंपा जाता है, तो उसे पंजीकरण प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति प्राप्त हो सके।वर्तमान मामले में भी, अपीलकर्ता, जो कि दुर्घटनाकारित वाहन का फाईनेंसर है, ने पंजीकृत स्वामी अर्थात् अनावेदक क्रमांक 2 के कब्जे से दुर्घटनाकारित वाहन को जप्त कर लिया था, पंजीकृत स्वामी द्वारा ऋण की किश्तों का नियमित भुगतान न करने पर, लेकिन अपीलकर्ता अधिनियम 1988 की धारा 51 (5) के अंतर्गत निहित प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा। अधिनियम 1988 की धारा 51 के अंतर्गत निहित प्रावधानों, विशेष रूप से उप–धारा (2), (3) और (5) को देखते हुए, अपीलकर्ता ने अपीलकर्ता द्वारा आयोजित नीलामी बिक्री में दुर्घटनाकारित वाहन के बाद के खरीदार के नाम पर वाहन को पंजीकृत कराने की कोई पहल नहीं की है। अपीलकर्ता ने धारा 51 के अंतर्गत पंजीकरण प्राधिकारी को सूचित न करके 1988 के अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, जिससे प्रस्तुत प्रकरण 1988 के अधिनियम की धारा 2 (30) के अपवाद के अंतर्गत आएगा। उपर्युक्त परिस्थिति में, न्यायालय द्वारा यह पाया जाता है कि दावा अधिकरण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

द्वारा अनावेदक क्रमांक 2/प्रतिवादी क्रमांक 4 को मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी न ठहराना उचित था, खासकर तब जब अपीलकर्ता के पास स्वयं यह साक्ष्य है कि अनावेदक क्रमांक 2 के कब्जे से दुर्घटनाकारित वाहन को जप्त करने के बाद, अपीलकर्ता वित्त कंपनी ने दुर्घटनाकारित वाहन को नीलामी में मुकेश श्रीवास्तव नामक व्यक्ति को विक्रय दिया था।

23. उपरोक्त कारणों से, प्रस्तुत दोनों अपीलों में कोई तथ्य नहीं पाये जाने से प्रस्तुत दोनों अपीलें खारिज की जाती है।

श्री पी. आर. रामचंद्रन
मुख्य न्यायाधीश

श्री मेमन पार्थ प्रतिम साहू
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।